

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

कार्यालय आदेश

सं०सं०-०१-स्था०-०१/२०१५ -१६३३

पटना, दिनांक- २२/०-२०२५

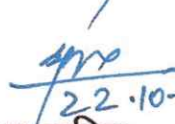
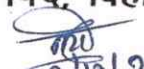
वित्त विभागीय संकल्प ज्ञाप सं०-७५६६, दिनांक-१४.०७.२०१० एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों एवं परिपत्रों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा में सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपन्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली २०१० के प्रावधानों के तहत सामान्य प्रशासन विभाग के का०आ० २४/बि०स०से० १०-१४/२०१४ सा०प्र० १२९०४ दिनांक-१४.०८.२०२४ द्वारा दिनांक-२४.०२.२०२४ से अपुनरीक्षित वेतनमान वेतन बैंड रू० ९३००-३४८००/- + ग्रेडवेतन- रू० ४८००/- पुनरीक्षित वेतनमान लेवल-८ में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके आलोक में श्री दीपक कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का निम्न प्रकार से वेतन निर्धारित किया जाता है:-

(i)	MACP का लाभ प्रदान किये जाने की तिथि	-२४.०२.२०२४
(ii)	MACP का लाभ प्रदान किये जाने के पश्चात् प्राप्त वेतन स्तर	-लेवल-८ पुनरीक्षित वेतनमान
(iii)	दिनांक-२३.०२.२०२४ को वेतन स्तर-७ में प्राप्त मूल वेतन	-५८,६००/-
(iv)	दिनांक-२४.०२.२०२४ को MACP का लाभ प्रदान किये जाने के पश्चात् वेतन स्तर-८ में वेतन प्रक्रम	-५८,६००/-
(v)	दिनांक-१३.०३.२०२४ से दिनांक-३०.०६.२०२४ तक मूल वेतन	-५८,६००/-

दिनांक-०१.०७.२०२४ को वेतन का पुननिर्धारण निम्नवत् है-

(vi)	दिनांक-३०.०६.२०२४ को वेतन स्तर-७ में प्राप्त मूल वेतन	-५८,६००/-
(vii)	दिनांक-०१.०७.२०२४ को वेतन स्तर-७ में नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में पे मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन	-६०,४००/-
(viii)	दिनांक-०१.०७.२०२४ को MACP का लाभ के रूप में वेतन स्तर -७ में पे मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन	-६२,२००/-
(ix)	दिनांक-०१.०७.२०२४ को वेतन स्तर-८ वेतन प्रक्रम	-६२,२००/-
(x)	वेतन स्तर-८ में अगली वेतन वृद्धि की तिथि	-०१.०७.२०२५

2. यह आदेश भूतलक्षी प्रभाव से प्रमाणिक मानक जाएगा।
3. यदि उक्त आदेश में कोई त्रुटि (वेतन वृद्धि या कमी) हो तो आदेश फलाफल से प्रभावी होगा।
4. उक्त आदेश में सचिव, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।


22.10.24
उप सचिव
राजस्व पर्वद, बिहार, पटना।

22/10/24